भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 643
उत्तर दिनांक 05/02/2026 को दिया गया

परामाणु ऊर्जा का प्रसार

643. श्री अयोध्या रामी रेड्डी आला

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारत शांति (भारत के रूपांतरण के लिए नाभिकीय ऊर्जा का संधारणीय दोहन और अभिवर्धन) अधिनियम के अंतर्गत परमाणु ऊर्जा के विस्तार की जटिलताओं से निपट रहा है, लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों (एसएमआर) तथा उन्नत भारी जल रिएक्टरों (एएचडब्ल्यूआर) जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में, राष्ट्र के महत्वकांक्षी ऊर्जा लक्ष्यों को जनविश्वास, पर्यावरणीय प्रबंधन एवं कड़े सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने की अनिवार्यता के साथ संतुलित करने हेतु कौन-सी नवोन्मेषी कार्यनीतियां अपनाई जाएंगी; और

(ख) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि शांति अधिनियम परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी निवेश आकर्षित करने पर केंद्रित है, परमाणु परियोजनाओं से जुड़े उच्च प्रारंभिक लागतों एवं दीर्घकालिक दायित्वों को कम करने हेतु नीति-निर्माताओं द्वारा प्रभावी जोखिम-साझाकरण तंत्र एवं वित्तीय सधन किस प्रकार तैयार किए जाएंगे?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) शांति अधिनियम किसी भी व्यक्ति को लाइसेंस प्राप्त किए बिना शांतिपूर्ण उपयोगों के लिए नाभिकीय ऊर्जा और विकिरण से संबंधित मामलों में अनुसंधान, विकास, डिजाइन और नवोन्मेष करने की अनुमति देता है। इस प्रावधान का उद्देश्य देश में नई रिएक्टर प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान, विकास और परिनियोजन को बढ़ावा देना है।

(ख) नाभिकीय परियोजनाओं से संबद्ध उच्च प्रारम्भिक लागत और दीर्घकालिक दायित्वों को कम करने के लिए जोखिम-साझा तंत्र एवं वित्तीय स्थितियों से संबंधित सभी पहलुओं को संज्ञान में लेते हुए, सभी हितधारकों के संबंध में और शांति अधिनियम में निहित प्रावधानों के पूर्णतया अनुरूप।

*****